

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (रोहतास) 02-23/2025-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-1505 दिनांक-05.05.2025 से प्राप्त आरोप पत्र एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुधीर कुमार ओंकारा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सासाराम, रोहतास के विरुद्ध दाखिल खारिज रिविजन के कुल-16 मामलों में अपर समाहर्ता, रोहतास द्वारा स्वीकृत करते हुए जमाबंदी कायम करने संबंधी पारित आदेश के बावजूद वरीय न्यायालयों के आदेश का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से 13 नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिये जाने, व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट लंबित रहने के बावजूद दाखिल खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दाखिल खारिज वाद सं०-2983/2024-25 एवं दाखिल खारिज वाद सं०-201/2024-25 को स्वीकृत करने, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं०-109/2021-22 में पारित आदेश का उल्लंघन करने, मौजा-लखरॉव, खाता सं०-13, खेसरा-44, रकबा-5.937 डी० भूमि की एल०पी०सी० वाद सं०-498/2024-25 को पहले अस्वीकृत तथा एल०पी०सी० वाद सं०-624/2024-25 को पुनः स्वीकृत करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस एवं ई-मापी से संबंधित आवेदनों के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने, अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत संबंधितों को भूमि का आवंटन, आधार सीडिंग का कार्य संतोषजनक नहीं होने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिये जाने, जिला राजस्व संबंधी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होने वाले बैठक में बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी ऑनलाईन दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस से प्राप्त होने वाले आवेदनों, ई-मापी एवं आधार सीडिंग के कार्यों का निष्पादन में कोई अपेक्षित सुधार नहीं होने एवं उनके विरुद्ध अनेकों परिवाद पत्र प्राप्त होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1395(15), दिनांक-04.08.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री ओंकारा द्वारा दिनांक-06.10.2025 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री ओंकारा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ओंकारा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, रोहतास को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री ओंकारा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, रोहतास/अपर समाहर्ता, रोहतास/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम/ श्री सुधीर कुमार ओंकारा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सासाराम, रोहतास सम्प्रति अंचल अधिकारी, थावे, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (रोहतास) 02-23/2025-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, रोहतास/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम/श्री सुधीर कुमार ओंकारा, अंचल अधिकारी, थावे, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (रोहतास) 02-23/2025-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, रोहतास को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन/अधिगम-मंदाव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (रोहतास) 02-23/2025-.....1401.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/9/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।